डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

Reply to Original Application

No. 2018/HQ/Admin/RTI-147 New Delhi: 27.03.2018

Shri Rakesh Pandey
Village Parsara, Post- Bharwari,
Tehsil- Chayal
Janpad-Kaushambi
Allahabad

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Original Application dated 07.03.18 received on 23.03.18 through CPM/Allahabad office from Sh. Rakesh Pandey.

You have submitted your above RTI application at CPM/Allahabad's office, The CPM/Allahabad's office, here the deemed CPIO, has forwarded the same along with their reply to this office which is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skpanda@dfcc.co.in
9717636811

Copy to:

Chief Project Manager, DFCCIL,
Allahabad (West)
Old GM Building,
Near Balmiki Chouraha,
Allahabad-211001

For information & Record only

श्रीमान नियत प्राधिकारी (रेलवे)/अपर जिलाधिकारी
जनपद – कौशाम्बी।

विषय :– जन सूचना अधिकार अधि0–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी राकेश पाण्डेय पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय नि0ग्राम–परसरा, पो0 भरवारी, जनपद कौशाम्बी का निवासी हूं।

प्रार्थी उपरोक्त अधि0 की धारा 6–1 के अन्तर्गत रेलवे द्वारा उक्त परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के सम्बनध में ग्राम परसरा, मो0पुर असवां, रसूलपुर गिरछा, टीकरडीह आदि राजस्व ग्रामों में प्रति वर्गमीटर की दर से आवासीय व्यवसायिक या औद्योगिक उपयोग वाली भूमियों के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में अग्रलिखित सूचनायें चाहता है :–

1. ग्राम–मो0पुर असवां, व परसरा, परगना व तहसील चायल की अधिग्रहण सेपूर्व स्थलीय सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
2. रेलवे अधि0 की धारा–20ए के प्रकाशन के बाद अधिग्रहीत भूमि की स्थलीय सर्वेक्षण रिपोर्ट।
3. उक्त दोनों सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार उक्त दोनों ग्रामों में कौन–कौन से गाटा सं0 अधिग्रहीत भूमियों के आवासीय व्यवसायिक या औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग में लाये जा रहे थे व उक्त आशय हेतु तत्समय प्रचलित विधि की धारा–143 के अन्तर्गत उन्हें गैर कृषिक भूमि घोषित किया गया था।
4. तहसील चायल व सिराथू से आवासीय, व्यवसायिक या औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग में लायी जा रही किन–किन भूमियों का अधिग्रहण इस परियोजना हेतु किया गया है व इन दरों पर प्रतिकर का भुगतान किया गया है या गैर कृषिक भूमि के प्रतिकर हेतु किसी या किन्हीं न्यायालयों में वाद संस्थित किये गये हैं।
5. ग्राम मो0पुर असवां के गाटा सं0–101 के प्रतिकर भुगतान से सम्बन्धित वाद इस समय किस न्यायालय में अवधारण हेतु नियत हैं व किन–किन न्यायालयों द्वारा अभिनिर्णय की पुष्टि, खण्डन या परिमार्जन किया जा चुका है, उक्त निर्णयों की छायाप्रतिया।
6. ग्राम–परसरा के गाटा सं0–48, 589 व 603 के प्रतिकर भुगतान से सम्बन्धित वाद इस समय किन–किन न्यायालयों के समक्ष अवधारण हेतु नियत है व उनकी अगली नियत तिथि वाद/अपील सं0 आदि का सुसंगत विवरण।
7. गाटा सं0–101 मो0पुर असवां, गाटा सं0–48, 589 व 603 के सम्बन्ध में अब तक प्रतिकर का भुगतान किया गया या नहीं।
8. गाटा सं0–101 मो0पुर असवां व 48, 589 व 603 के सम्बन्ध में नियचत प्राधिकारी व उसके अपीलीय न्यायालयों द्वारा अभिनिर्णय की पुष्टि या खण्डन या संशोधित प्रतिकर के सम्बन्ध में दिये गये समस्त निर्णयों की प्रमाणित छायाप्रतियां।

प्रार्थी उपरोक्त सूचनाओं की प्राप्ति हेतु विहित शुल्क का भा0पो0आ0सं0 42F...000836.. प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा है, कृपया विहित समयावधि के भीतर उक्त सूचनायें उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

राकेश कुमार